

Panaji, 1st November, 2008 (Kartika 10, 1930)

SERIES II No. 31

# OFFICIAL GAZETTE



# GOVERNMENT OF GOA

## EXTRAORDINARY

### No. 2

### GOVERNMENT OF GOA

Department of Elections

Office of the Chief Electoral Officer

#### Notification

No. 5-16-2008/ELEC/1630

The following Notification No. 100/GOA-LA/1/2008 dated 01-11-2008 issued under sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) by the Election Commission of India, New Delhi, is hereby published for general information.

*Ajit Srivastava*, Chief Electoral Officer.

Panaji, 1st November, 2008.

#### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi-110001.

Dated: 1st November, 2008  
10 Kartika, 1930 (Saka)

#### Notification

No. 100/GOA-LA/1/2008 Whereas, the seat of Shri Gurudas Prabhakar Gauns, in the Legislative Assembly of the State of Goa, elected from 17-Pale Assembly Constituency, has become vacant on 4th June, 2008, by reason of his death; and

2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. Now, Therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby -

(A) calls upon the said 17- Pale Assembly Constituency in the State of Goa, to elect, before the 01-12-2008 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders, made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election,—

- the 08-11-2008 (Saturday), as the last date for making nominations;
- the 10-11-2008 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
- the 12-11-2008 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the 26-11-2008 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- the 01-12-2008 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 a.m. to 5.00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

*Satyendra Kumar Rudola*,  
Secretary to the  
Election Commission of India.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली — ११०००१.

तारीख : ०१ नवम्बर, २००८  
१० कार्तिक, १९३० (शक)

### अधिसूचना

सं. १००/गोवा वि. स./१/२००८: यतः, गोवा राज्य की विधान सभा में उस राज्य की १७-पाले विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित श्री गुरुदास प्रभाकर गोव्हा का स्थान दिनांक ४ जून, २००८ को उनकी मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप रिक्त हो गया है; और

२. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप-निर्वाचन कराया जाना है,

३. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा १५० की उप-धारा (१), तथा धाराओं ३० और ५६ के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(अ) गोवा राज्य में उक्त १७-पाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह ०१ दिसम्बर, २००८ (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम, के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में —

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| (क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख                    | ०८ नवम्बर, २००८ (शनिवार);  |
| (ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख                  | १० नवम्बर, २००८ (सोमवार);  |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख               | १२ नवम्बर, २००८ (बुधवार);  |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा          | २६ नवम्बर, २००८ (बुधवार);  |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | ०१ दिसम्बर, २००८ (सोमवार); |

नियत करता है, और

- (इ) ८.०० बजे पूर्वाह्न से ५.०० बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

सत्येन्द्र कुमार रुडोला,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.